



मधुबन
MADHUBAN
हरियाणा पुलिस अकादमी का मुख्यपत्र
A NEWS LETTER OF HARYANA POLICE ACADEMY
website : <http://www.hpa.haryanapolice.gov.in>




वर्ष 12 Volume II

अप्रैल-जून APRIL-JUNE 2019

अंक Issue XLV



हरियाणा पुलिस अकादमी में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव भापुसे के प्रथम दौरे के अवसर पर अकादमी निदेशक श्री आलोक कुमार राय भापुसे द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट।



श्री मनोज यादव भापुसे पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा मधुबन में हरियाणा पुलिस संग्रहालय का भ्रमण।

श्री मनोज यादव भापुसे पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा अकादमी में स्थित संकल्प स्थल पर।

शांतिपूर्ण चुनाव पर डीजीपी हरियाणा की सुरक्षा बलों को बधाई

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने राज्य पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों के सभी अधिकारियों व जवानों को लॉकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने पर बधाई दी है। अपने संदेश में, श्री यादव ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी और ऊर्जावान गश्त के चलते ही चुनाव को सफलतापूर्वक व घटना मुक्त तरीके से संपन्न करवाया गया है। केंद्रीय बलों की प्रशंसा करते हुए डीजीपी ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, झारखंड पुलिस, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी, पंजाब पुलिस, केरल पुलिस के अधिकारियों व जवानों सहित होमगार्ड, विशेष पुलिस अधिकारियों और पुलिस प्रशिक्षकों ने मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए अत्यंत कुशलता व कर्तव्य-परायणता के साथ हरियाणा पुलिस का सहयोग किया। उन्होंने कहा कि यह पूरे हरियाणा पुलिस के लिए गौरव की बात है, कि चुनाव के दौरान पिछले कुछ दिनों में कर्मठता व कड़ी मेहनत के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस ने अनुकरणीय प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।



वर्दी है पहचान इसे गर्व से पहनें: मनोज यादव

वर्दी आपकी पहचान है, इसे गर्व से पहनें। अच्छी वर्दी आपको इसका गौरव बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह उद्गार हरियाणा पुलिस के महानिदेशक श्री मनोज यादव भाषुसे ने 06 अप्रैल को अपने अकादमी के प्रथम दौरे के अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त उप निरीक्षकों और महिला सिपाहियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने अपने संबोधन में प्रशिक्षणार्थियों व प्रशिक्षकों का बेहतर पुलिसिंग व प्रशिक्षण के बारे में मार्गदर्शन किया। उन्होंने अकादमी में प्रशिक्षण सुविधाओं को जायजा भी लिया। अकादमी के निदेशक श्री आलोक कुमार रॉय भाषुसे इस दौरान उनके साथ रहे।



श्री यादव ने सबसे पहले हरियाणा पुलिस के नवीनतम सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें पुलिस परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई दी और कहा कि पुलिस ऐसा पेशा है जिसमें जन सेवा के अद्वितीय अवसर प्राप्त होते हैं। यह पेशा लोगों के आंसू पोंछने, उन्हें अपराध से सुरक्षित रखने, खोए बच्चे को मिलाने, दूटे हुए व्यक्ति को ढांचस बंधाने का अपूर्व अवसर देता है। उन्होंने कहा कि वर्दी एक पहचान है। हमें अपने व्यक्तित्व को इस ऊंचाई तक रखना चाहिए कि हम सही मायने में वर्दी के हकदार बन सकें। ट्रेनिंग के दौरान जो भी सिखलाया जाए उसे दिल और दिमाग में धारण करके जीवन में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज का अंग है समाज ने कानून के माध्यम से पुलिस को अधिकार दिए हैं और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोगों के जीवन व सम्पत्ति की रक्षा करने, कानून के अनुसार कार्य करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी हैं। इन जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत ही पावन और पुनीत कार्य है। वर्तमान में पुराने अपराधों के साथ-साथ धोखाधड़ी, साइबर अपराध जैसे नवीनतम अपराध भी होने लगे हैं। पुलिस के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सड़क दुर्घटना से लेकर इन सभी अपराधों से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करें। एक पुलिसकर्मी अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन करने में तभी सक्षम हो सकता है यदि उसने अपना प्रशिक्षण कुशलतापूर्वक पूर्ण किया हो। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने कौशल को उस स्तर तक विकसित कर सकते हैं। जिसकी अपेक्षा नागरिक पुलिस से करता है।

उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहने का मूल मत्र देते हुए कहा कि ट्रेनिंग के दौरान होने वाली पीटी को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए और स्वस्थ बने रहें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सदैव अच्छे विचार रखें, लोगों की सहायता और सेवा के लिए तत्पर रहें। समाज के सभी वर्गों विशेषकर गरीबों और कमज़ोर वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने न्याय प्रदान करने का अधार बनें। बिना भय, राग या द्वेष के निष्पक्षता के साथ अपनी द्यूटी करें। उन्होंने कहा कि कानून को केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन और आचरण का अंग बनाने की दृष्टि से सीखें। कानून पुलिस के लिए हथियार भी है और ढाल भी। हमेशा कानून की पालना करें और इसे विवेक, सही आचार-विचार के साथ लागू करें। इससे आपको संतोष और सभी की ओर से अकल्पनीय सम्मान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लें। सड़क नियमों का खुद पालन करें और समाज को भी इसके लिए जागरूक करें।

निदेशक श्री आलोक कुमार रॉय भाषुसे ने डीजीपी श्री मनोज का स्वागत किया तथा अकादमी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। अकादमी व करनाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री योगिन्द्र सिंह नेहरा भाषुसे ने धन्यवाद अभिभाषण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अकादमी के ट्रेनिंग एडवाइजर एवं पूर्व आईजी श्री सतप्रकाश रंगा भाषुसे, पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी भाषुसे, डीएसपी श्री राजकुमार, डीएसपी श्री शीतल सिंह, डीएसपी श्रीमती लक्ष्मी देवी, डीएसपी श्री सुन्दर सिंह, डीएसपी श्री अजमेर सिंह, डीडीए श्री अजय कुमार, व अन्य स्टाफ उपस्थित रहा।



डीजीपी हरियाणा ने किया मधुबन परिसर का भ्रमण प्रशिक्षण सुविधाओं का किया निरीक्षण

05 व 06 जून को हरियाणा पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव भापुसे ने मधुबन पुलिस परिसर भ्रमण किया। पहले दिन हरियाणा सशस्त्र पुलिस मधुबन का निरीक्षण किया था तथा पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर इसके संरक्षण का संदेश दिया तथा दूसरे दिन हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण सुविधाओं की बेहतरी के लिए मार्गदर्शन किया।

उन्होंने पुलिस अकादमी की विभिन्न ईकाइयों का भ्रमण प्रातः 9 बजे से साईकिल द्वारा आरम्भ किया और चिलचिलाती धूप व जला देने वाली गर्मी के बाद भी वे भरी दोपहर तक सम्पूर्ण ऊर्जा के साथ निरीक्षण कार्य में लगे रहे। अकादमी के निदेशक श्री आलोक कुमार रॉय भापुसे भी उनके साथ बने रहे। श्री यादव ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा पुलिस अकादमी देश की अग्रणी पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों में से एक है। वर्तमान में अपराध और अपराधियों का बदलता स्वरूप सभ्य समाज में एक चुनौती है। एक अच्छा पुलिस प्रशिक्षण इन चुनौतियों का पेशेवर और कुशल तरीके से सामना करने के लिए, पुलिस को सक्षम बनाता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अकादमी में संसाधनों की उपलब्धता के लिए पुलिस मुख्यालय व सरकार द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने अकादमी में ऑनलाइन प्रशिक्षण सुविधाओं का समावेश करने का सुझाव भी दिया।

श्री यादव ने अकादमी में प्रशिक्षणार्थियों के लिए बने आवास, शिक्षण खण्ड, स्टेडियम, जिम्मेजियम हॉल, कौशल केंद्र, शस्त्रशाला, सीपीसी केंटीन, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का दौरा किया तथा हरियाणा पुलिस तथा हरियाणा पुलिस आवास निगम के अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण सुविधाओं की समीक्षा की। इन ईकाइयों के भ्रमण पश्चात डीजीपी ने एक बैठक में विचार विमर्श किया जिसमें हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के निदेशक ने पुलिस मुख्यालय पर अकादमी की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के बारे में बताया। अकादमी तथा करनाल रेंज के महानिरीक्षक श्री योगिन्द्र सिंह नेहरा भापुसे ने बैठक में अकादमी के बारे में प्रस्तुति दी। अकादमी निदेशक आलोक कुमार रॉय भापुसे ने अकादमी के भ्रमण व महत्वपूर्ण निर्देशों के लिए डीजीपी श्री मनोज यादव भापुसे का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके दौरे से अकादमी में तेजी से आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

इस निरीक्षण कार्यक्रम में अकादमी के ट्रेनिंग एडवाइजर एवं पूर्व आईजीपी श्री सतप्रकाश रंगा भापुसे, एसपी श्री कृष्ण मुरारी भापुसे, डीएसपी श्री राजकुमार, डीएसपी श्री शीतल सिंह धारीवाल, डीएसपी श्री सुन्दर सिंह, डीएसपी श्रीमती लक्ष्मी देवी व अकादमी की सभी ईकाइयों के प्रभारी तथा हरियाणा पुलिस आवास निगम के अधीक्षक अभियंता श्री केएन भट्ट व एक्सइन श्री संजीव कुमार भी उपस्थित रहे।



निष्पक्षता से निर्भय होकर करें ड्यूटी: योगिन्द्र सिंह नेहरा

26 अप्रैल को हरियाणा पुलिस अकादमी में नवनियुक्त पुलिस उप निरीक्षकों हेतु 2019 चुनाव ड्यूटी के संबंध में सेमीनार आयोजित की गई जिसमें करनाल रेंज व हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के पुलिस महानिरीक्षक श्री योगिन्द्र सिंह नेहरा भापुसे ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्षता के साथ और निर्भय होकर चुनाव में अपनी ड्यूटी करें यह लोकतंत्र में आपकी सच्ची भागीदारी होगी।



पार्टी के साथ रहें। चुनाव में पुलिसकर्मी को ध्यान रखना चाहिए कि वे पोलिंग बूथ व उसके आस-पास व्यवस्था बनाए रखें। इसके लिए वह दृढ़ता के साथ-साथ विनग्र व्यवहार करते हुए नागरिकों का सहयोग प्राप्त करे ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना बाधा के चलती रहे। पोलिंग बूथ के अंदर केवल पीठासीन अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर ही जाएं। यह भी ध्यान रखें कि मतदाता के अलावा निर्वाचन आयोग से वैद्य अधिकार पत्र प्राप्त व्यक्ति ही पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करने का अधिकारी है। निष्पक्ष निर्वाचन के लिए अनुचित किसी भी व्यवहार की जानकारी तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को दें तथा पेट्रोलिंग पार्टियों की सहायता लें। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को लगन और मेहनत का संदेश देते हुए एक कविता के माध्यम से कहा कि पसीने की स्थाही से लिखे कागज कभी कोरे नहीं होते और मेहनत से किए गए कार्य कभी अधूरे नहीं होते। कार्यशाला में अकादमी के डीएसपी श्री शीतल सिंह धारीवाल ने निर्वाचन संबंधी संवैधानिक और कानूनी पहलूओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

एचआईवी एड्स विषय पर अकादमी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

04 जून को हरियाणा पुलिस अकादमी व हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा अकादमी में प्रशिक्षणार्थियों के लिए एचआईवी एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम चार चरणों में संपन्न हुआ जिसमें 2002 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। जिसमें हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की परियोजना निदेशिका डॉ. बीना सिंह व उनकी ठीम ने कार्यक्रम आयोजन के उद्देश्य से अवगत कराते हुए कहा कि सोसाइटी एड्स की रोकथाम हेतु राज्य में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करती है। उन्होंने अकादमी निदेशक श्री आलोक कुमार राय भापुसे का इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया।

नागरिक अस्पताल करनाल के डॉ. मनजीत ने जवानों को एचआईवी के लक्षण, कारण और इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी दी। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की सहायक निदेशिका डॉ. उजिता बाल्याण ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचआईवी

जांच व उपचार संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी अस्पतालों में एचआईवी की जांच मुफ्त व गोपनीय होती है। उन्होंने कहा कि एचआईवी एड्स से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण उपाय इसके प्रति जागरूकता है। उन्होंने कहा कि असुरक्षित यौन संबंधों के अलावा संक्रमित सूई के इस्तेमाल, संक्रमित रक्त के उपयोग से भी यह बीमारी हो सकती है इसलिए एचआईवी पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को केवल नैतिकता के चश्मे से देखना और व्यवहार करना सही नहीं है। यह हाथ मिलाने, छूने, साथ खाना-खाने से नहीं होता है। उन्होंने कहा कि एचआईवी एड्स के खिलाफ सहायता करने के लिए हेल्प लाईन नम्बर 1097 बनाया गया है जिस पर कोई भी सहायता प्राप्त कर सकता है। परामर्शदात्री श्रीमती ममता ने भी इसकी जांच के बारे में अपने विचार रखें। कार्यक्रम में लैब टेक्निशियन श्री विजय व श्री पवन ने सहयोग किया।




अकादमी में मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस

21 मई को अकादमी की मधुबन रंगशाला में हजारों की संख्या में एकत्रित होकर हरियाणा पुलिस अकादमी के प्रशिक्षणार्थियों व अधिकारियों ने आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने की शपथ के साथ आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अकादमी के ट्रेनिंग एडवार्ड्जर व पूर्व पुलिस महानिरीक्षक श्री सतप्रकाश रंगा भापुसे ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों, प्रशिक्षणार्थियों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और सामाजिक सद्भाव मजबूत करने की शपथ दिलाई।

आतंकवाद विरोधी इस कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस ने भारतवासी होने के नाते अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ ली। उन्होंने इस बात की भी निष्ठापूर्वक शपथ ली कि वे उन सभी विघटनकारी शक्तियों का भी डटकर मुकाबला करेंगे जिनसे मानव जाति के सभी बच्चों के बीच शान्ति, सद्भाव, सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचता हो।

मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के लिए गंभीर समस्या है। भारत में बहादुर जवानों और जागरूक नागरिकों के योगदान से इस पर काफी हृदय तक काबू पा लिया गया है। भारत ने आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए 21 मई का दिन समर्पित किया है। आज के दिन आतंकवाद के कारण भारत ने अपने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को खोया था। हर साल पूरे देश में आज के दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को आतंकवाद के समाज विरोधी कार्यों से अवगत कराना, लोगों के बीच शान्ति और मानवता का संदेश फैलाना और युवाओं व समाज को आतंकवाद के खतरे के बारे में जागरूक करना है।



इस अवसर पर अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी भापुसे, डीएसपी श्री राजकुमार, श्री शीतल सिंह धारीवाल, श्री अजमेर सिंह, श्री सुन्दर सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी, व अन्य स्टाफ उपस्थित रहा।

अकादमी में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित

10 जून को हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के हर्षवर्धन सभागार में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का अयोजन किया गया। यह आयोजन हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव भापुसे के निर्देश पर अकादमी निदेशक श्री आलोक कुमार रॉय भापुसे के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा पुलिस के विभिन्न जिलों से 332 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में हरियाणा चिकित्सा परिषद के सदस्य एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. विरमानी ने अपने व्याख्यान में बीमार होने के कारण और उनसे बचाव के तरीकों के साथ-साथ एक अच्छी जीवन शैली के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जीवन, धन, उत्तरति और अमन है। प्रत्येक व्यक्ति की तीन तरह की प्रकृति होती है जिसमें हम वात पित्त, कफ के नाम से जानते हैं। वात प्रकृति के लोगों को शरीर में जोड़ों संबंधी समस्याएं, पित्त प्रकृति वालों को त्वचा संबंधी और कफ प्रकृति वालों को श्वास संबंधी समस्याएं होने की संभावना अधिक रहती है हमें अपने शरीर की प्रकृति को पहचानकर भोजन करना चाहिए। वात प्रकृति वालों को दूध और दूध से बनी वस्तुएं, पित्त प्रकृति वालों को फल, ठण्डी वस्तुएं तथा कफ प्रकृति वालों व्यक्तियों को गर्म चीजे जैसे बादाम, काली मिर्च, प्याज आदि खाने से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। भोजन को हमें खाई दैर्य के साथ खाएं जल्दबाजी न करें। दूध व दूध से बनी वस्तुओं के साथ नमक का प्रयोग खाने में न करें, इससे उच्च रक्तचाप, त्वचा रोग, सिरोसिस आदि रोग हो सकते हैं। जंक फूड से परहेज करें। अच्छे विचार रखें, अच्छे लोगों के साथ रहने, नियमित योग व व्यायाम करने से व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं रख सकता है। डॉ. राजीव पंवार अतिरिक्त एसएमओ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, डॉ. विकास ग्रोवर मेडिकल अधिकारी मधुबन अस्पताल ने रोगों के निदान व उपचार के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक किया।

कार्यक्रम सयोजक अकादमी के डीएसपी श्री राजकुमार हपुसे ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे पुलिसकर्मी लाभांवित होंगे वे समाज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में सहायक बनेंगे। उन्होंने अतिथि वक्ताओं का आभार व्यक्त किया।



योग को बनाए अपनी दिनचर्या का हिस्सा : आलोक कुमार रॉय

अकादमी में उत्साह के साथ मनाया गया पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून को हरियाणा पुलिस अकादमी के विशाल दीक्षांत परेड मैदान में पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। जिसमें 2000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों सहित अधिकारियों व स्टाफ ने भाग लिया। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक एडीजीपी श्री आलोक कुमार रॉय भापुसे ने मुख्य योगकर्ता के रूप में शिरकत की। श्री सतप्रकाश रंगा भापुसे भी मंच पर उपस्थित रहे।

मुख्य योगकर्ता श्री आलोक रॉय भापुसे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग विद्या को पहचान मिली है। दुनिया के लोगों ने है जो हम सभी के लिए सौभाग्य और गौरव की का आवश्यक हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन योग व को लम्बे समय तक सुखी और स्वस्थ रहते हुए करने के लिए अच्छे मन और शरीर दोनों ही की मन भी अच्छा रहता है। पुलिसकर्मियों को इसलिए हित में निरंतर कार्य



योग दिवस कार्यक्रम में शामिल योगकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से दुनिया में भारत की प्राचीन अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसे दिल से स्वीकार्य किया बात है। उन्होंने कहा कि योग को अपनी दिनचर्या प्राणायाम के लिए समय लगाएं। ऐसा करने से जीवन जीया जा सकता है। समाज की अच्छी तरह से सेवा जरूरत होती है। योग से शरीर अच्छा रहता है जिससे योग जरूर करना चाहिए क्योंकि उन पर समाज के करने का दायित्व है।



ट्रेनिंग एडवार्ड जर श्री सतप्रकाश रंगा भापुसे ने इस अवसर पर बताया कि अकादमी निदेशक के नेतृत्व में अकादमी में योग प्रशिक्षण देने के लिए कुशल प्रशिक्षक हैं। योग को पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया है, अन्य आवश्यक प्रशिक्षण के साथ अकादमी में नियमित रूप से योग प्रशिक्षण भी दिया जाता है। योग दिवस कार्यक्रम में अकादमी प्रशिक्षक जगदीश चन्द्र व अनिल कुमार ने योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास व क्रियाएं करवाईं। इस अवसर पर अकादमी के डीएसपी श्री राजकुमार, डीएसपी श्री शीतल सिंह धारीबाल, डीएसपी श्री सुन्दर सिंह, डीएसपी श्री लक्ष्मी देवी, डीएसपी श्री पवन कुमार ने भी योग अभ्यास करके कार्यक्रम में भाग लिया।



अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर अकादमी में कार्यक्रम आयोजित



26 जून को हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में अंतर्राष्ट्रीय नशा दुर्व्यवसन एवं तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर सेमीनार आयोजित किया गया। जिसमें हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों से आए 480 पुलिस अधिकारियों प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अभियोजन विभाग हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक शशिकांत शर्मा, राजकीय बेक्टिरियल प्रयोगशाला के अतिरिक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव पंवार, अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी तथा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के डॉ आशीष ने नशे की रोकथाम के लिए सामाजिक व कानूनी पहलुओं पर अपने विचार रखे।



सेमीनार का शुभारम्भ करते हुए अभियोजन विभाग हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक शशिकांत शर्मा ने कहा कि मादक पदार्थों के दुर्व्यवसन और इसकी अवैध तस्करी की समस्या ने पूरे विश्व पर बुरा प्रभाव डाला है। सन् 2000 में दुनिया में नशे के कारण 1 लाख 8 हजार लोगों की मौत हुई थी जो 2015 में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 1 लाख 68 हजार हो गई। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए तथा लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 1989 से प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूरी मानव जाति को नशे के दानव से बचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने के संकल्प का दिवस है। नशाखोरी के अवैध कारोबार में लगे लोगों पर काबू पाने के लिए कानूनी प्रावधानों का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत में एनडीपीएस एक्ट 1985 जैसा सख्त कानून उपलब्ध है। हमें इसे सही प्रकार से लागू करना चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों को इस कानून व इसके अनुसंधान की बारीकियों के बारे में अवगत कराया।

सेमीनार में भाग लेते हुए अकादमी के पुलिस अधीक्षक कृष्ण मुरारी ने कहा कि भारत में भांग, अफीम और सिंथेटिक ड्रग युवाओं को तेजी से अपना शिकार बना रही है, इसके लिए हम सभी हितधारकों यानि पुलिस, न्यायालय, चिकित्सा, समाज कल्याण विभाग को मिलकर कार्य करते हुए एक तरफ जहां युवाओं को इसकी चपेट में आने से बचाने के लिए कार्य करना है, वहीं नशे के अवैध कारोबार में संलिप अपराधियों को भी कानूनी तरीके से ठीक करना है। उन्होंने नशे के प्रति भारत की संवेदशीलता के बारे में सचेत करते हुए कहा कि भारत के उत्तर-पूर्व व पश्चिम में अफीम के बड़े उत्पादक देश हैं जहां से तस्कर इसे अन्य देशों में पहुंचाने के लिए भारत देश से गुजरते हैं ये तस्कर लगभग 20 प्रतिशत नशा भारत में छोड़ जाते हैं। हमारी भूमिका नशे के खिलाफ यहीं से शुरू हो जाती है। आगामी सत्र में राजकीय बेक्टिरियल प्रयोगशाला करनाल के वरिष्ठ अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी राजीव पंवार ने नशे के प्रकार और इसके दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक सिगरेट में चार हजार केमिकल होते हैं जिनमें से 250 शरीर में कैंसर पैदा करते हैं। इसी प्रकार अफीम, हेरोइन, ब्राउनशुगर, कोकीन, भांग, चरस, हशीश में पाये जाने वाले केमिकल कैंसर कारक हैं, इनसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु तक हो सकती है। उन्होंने मादक पदार्थों के समाज पर प्रभाव के बारे में कहा कि मादक पदार्थ मानवीयता के लिए खतरा है, इससे समाज में हिसारा, अपराध और अनैतिक घटनाएं बढ़ती हैं। एक अन्य सत्र में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉ आशीष ने नशे से मुक्ति के लिए उपचार, परामर्श व पुनर्वास के तौर-तरिकों के बारे में जानकारी दी।



सेमीनार के सायंकालीन सत्र में अकादमी के निदेशक आलोक कुमार रॉय की प्रेरणा से नशे के खिलाफ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ जिसके तहत प्रशिक्षणार्थियों ने नाटक 'नशे दी मार' का मंचन किया तथा रागनियां प्रस्तुत की। सेमीनार संयोजक अकादमी के डीएसपी राजकुमार ने इस अवसर पर अतिथि वक्ताओं तथा प्रतिभागियों को स्वागत किया। सेमीनार में अकादमी के डीए आनन्द मान, डीएसपी शीतल सिंह धारीवाल, डीएसपी अजमेर सिंह, डीएसपी लक्ष्मी देवी, डीएसपी पवन कुमार व अन्य अधिकारी व स्टाफ भी उपस्थित रहा।





DRUG ABUSE: LIVE WITH YOUR EYES OPEN NOT CLOSED



Dr. Neelam Arya Senior Scientific Officer (SOC) Forensic Science Laboratory Haryana. PhD.,MCA, LL.B.

Drug abuse and addiction continues to create a major international epidemic affecting society. Drug abuse is one of the most serious challenges being faced by the contemporary societies. As societies move up, the frustration of the individual also multiply. In the last two decades, the tentacles of drug abuse have spread so alarmingly that it is causing serious concern to the international community.

The term 'narcotic' in the legal sense is quite different from that used in the medical context which denotes a sleep inducing agent. Legally, a narcotic drug could be an opiate (a truenarcotic), cannabis (a non-narcotic) or cocaine (the very antithesis of a narcotic, since it is astimulant). The term 'psychotropic substance' denotes mind-altering drugs such as Lysergic Acid Diethylamide (LSD), Phencyclidine, Amphetamines, Barbiturates, Methaqualone, and designer drugs (MDMA, DMT, etc.).

According to Section 2 of NDPS Act 1985: 'Commercial quantity', in relation to narcotic drugs and psychotropic substances, means any

quantity greater than the quantity specified by the Central Government by notification in the Official Gazette. Offences under commercial quantities are non-bailable U/S 37 NDPS Act finds that the accused is not to indulge in sale/ purchase of granted. The punishment for 15-23 of NDPS Act 1985.



Don't Fall Into the Death Trap

What has been the common ground of acquittals in the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances (NDPS) Act cases? An analysis of acquittals over the years would show that in a majority of cases the prosecution failed to get accused persons convicted due to violations of Section 50 of the Act. How and why such violations continue to be committed over the years? This is a million dollar question and has remained unanswered till date. But a perusal of judgments acquitting accused persons gives one an understanding to presume that it is either due to collusion between investigating officers and accused or sheer negligence on the part of the officials entrusted to conduct investigation, lawyers dealing with NDPS cases say. There is sort of checklist regarding search, field testing and seizure to minimize the acquittals-

1. Was the information recorded in writing by him? (If he has received some information-Section 42 (1) of the NDPS Act).
2. Were his belief and the ground that search authorization cannot be obtained without affording opportunity for concealment of evidence or facility for escape of the offenders, recorded in writing by him? (If he is proceeding to search premises without search authorization between sunset to sunrise, Proviso to Section 42 (1) of the NDPS Act).
3. Was a copy of the said documents as at 1 or 2, as applicable, sent to his official superior within 72 hours? (Section 42(2) of the NDPS Act).
4. Were the copy of Search Authorization shown and signatures of two independent local witnesses and the owner/occupier available in the premises obtained at the time of search? (In case, the search of premises is carried out on the strength of a search authorization).
5. Did the search team offer their own personal search by the owner/occupier of the premises before beginning the search

of the premises?

6. Was a written notice under section 50 of the NDPS Act served to the occupants of the premises or on the person who is intercepted at a public place (This is a must if a person is given a body search and is not necessary if only the premises is searched or if the bag, brief case, etc. in the possession of the person is only searched)? Was the response to such a notice recorded in writing?

7. Was a lady officer present in the search team to ensure that a female has searched a female? (Section 50(4) of the NDPS Act).

8. Was there sufficient reason to believe that the person about to be searched will part possessions of drug and other incriminating articles and, hence, could not be taken to senior officers, and if yes, whether it was recorded in writing? (The person about to be searched for suspected drugs and other incriminating articles can exercise his legal right to be searched before a Magistrate or a Gazetted Officer, as provided in Section 50(1) of the NDPS Act).

9. Was the copy of the documents, as at serial No. 8, sent to his immediate superior within 72 hours? (Section 50(6) of the NDPS Act).

10. Were all recovered suspect substances field tested with Drug Detection Kits/Precursor Testing Kits and the matching colour resulted to show presence of NDPS or CS (Control Substances) and was it all documented?

11. Were all the recovered documents, articles or things scrutinized/examined to determine their relevance to the commission of offence and importance to the inquiries under the Act?

12. Were all recovered and relevant items liable to seizure and confiscation entered carefully in an inventory and documented in the Panchnama?

13. Were all the goods, documents, articles, things and assets found relevant to the commission of offence and subsequent investigations, recovered during search, seizure and the fact of seizure documented in the Panchnama?

A person suspected of possessing a narcotic can be charged with a crime only after the identity of the illicit substance is confirmed. Natural narcotics drugs like Ganja, Charas, Opium Poppy can be easily identified by their color, texture and smell. But, most of the drugs abused today are refined and chemically processed substances and are mostly circulated as white, off-white or brown powder, crystals or flakes or colourless odourless liquids. It is very difficult to identify a substance as a drug unless it is tested with different reagents. A small quantity of substance suspected to NDPS must be tested with the help of Field Drug Identification Test Kit and an indicative nature of the substance should be established from the color range. Drug Detection Kit is supplied free of cost by the Narcotic Control Bureau. Some firms also supply imported kit having provision of testing more drugs. The kit include samples or reproductions of the color or colors produced by each reagent in the kit when reacted with each drug listed on the reagent container label specified by the manufacturer. Test by kit is only a presumptive/preliminary test and need further confirmation and for which the sample is to be sent to a laboratory. Kit does not contain test for all NDPS substances. If test kit is negative, it does not mean that no NDPS drug is present.

This confirmation is typically provided by analytical chemists in forensic laboratories and requires highly technical separation and detection methods. Unfortunately, such labs often have deep caseloads that lead to delays in testing. There are many manufacturers which are providing the drug analysis system/tools certified by international agencies, with reliability and accuracy upto maximum extent. Some are Raman based analyser that bring the reliability and accuracy of lab analysis to first responder in the field, allowing for rapid and accurate onsite identification of different drugs. With such tools, demand for forensic analysis can be reduced and enforcement agencies can enforce drug policies with greater safety, speed and precision. Immediate identification of drugs, once recovered from the field of directly on the field saving lot of time and money over conventional wet chemistry methods. The equipment is supplied ready to use Raman library free of cost which can be adjusted and locked for each material. The identification report is generated in few seconds after analysis automatically and can be attached via email or shared via internet or printed and filled for further reporting without waiting for days required for wet chemical analysis result.

In India, drug users are found throughout the society, not just on its fringes, and that too irrespective of cast, creed, social and economic levels. However, today though Government continues to expand drug abuse prevention and treatment activities, the resources of drug control remain inadequate and there is lack of co-ordination and co-operation between the agencies involved. To make such agencies more effective, Government may provide more human resources, training and equipments. Drug problems cannot be solved by laws only. As the drug abuse and drug trafficking is not only a national problem but an international problem. Hence, suitable fields are to be invented for doing away with this menace.

drneelamarya@rediffmail.com

लैंगिक अराधों की विवेचना में सेक्सुअल असाल्ट ऐवीडेन्स कलेक्शन किट के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

24 से 28 जून तक हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में महिला सुरक्षा और विवेचना में सेक्सुअल असाल्ट ऐवीडेन्स कलेक्शन किट के उपयोग विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 24 महिला व पुरुष विवेचना अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी भापुसे तथा समापन अकादमी के ट्रेनिंग एडवार्ड्जर एवं पूर्व आईजीपी सतप्रकाश रंगा भापुसे ने किया।

अपने संबोधन में श्री मुरारी ने कहा कि पीड़ित के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपनी बात को सही सही रख सके। अपराध पीड़ित घटना के बाद मानसिक रूप से प्रभावित रहता है उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बातें ध्यान से सुनकर कानून अनुसार कार्यवाही करने से न्याय को हासिल करने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि एक विवेचना अधिकारी को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त रहते हुए निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए इससे समाज और पुलिस दोनों का हित पूरा होता है। उन्होंने कहा कि

व्यक्ति का विवेक और उस पर निगरानी व नियंत्रण उसे अपराध करने से बचाता है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, उसके प्रति अपनी किसी पूर्व धारणा के बिना तथ्य के अनुसार कार्य करें।

समापन अवसर पर मुख्य अतिथि अकादमी के ट्रेनिंग एडवार्ड्जर एवं पूर्व आईजी सतप्रकाश रंगा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस को सक्षम, कार्य करने में तकनीकी रूप से दक्ष तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। पुलिस अधिकारी अपने कार्य में तभी सक्षम बन पाता है जब उसे कानून का ज्ञान तथा जनता के साथ उसका तालमेल अच्छा हो। कानून का ज्ञान होने से वें अपने कार्य को पेशेवर तरीके से करेगा तथा उन्हें जनता का भी सहयोग प्राप्त होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए।

कार्यक्रम निदेशक अकादमी की डीएसपी लक्ष्मी देवी ने शुभारम्भ व समापन अवसर पर मुख्य अतिथि व प्रतिभागियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अकादमी की डीएसपी श्रीमती लक्ष्मी देवी ने महिला विरुद्ध अपराध, डीएसपी श्री शीतल सिंह धारीवाल ने यौन हिंसा मामलों में घटना स्थल की सुरक्षा, साक्षों को एकत्रित करना, एफएसएल मधुबन के डीएनए विशेषज्ञ डॉ सिद्धार्थ कौशिक ने डीएनए तथा फोरेंसिक साईस की भूमिका, प्रशिक्षक ओम प्रकाश ने जेंडर सेंसेटाइजेशन, डीएसपी श्री राजकुमार ने अपहरण मामलों में अनुसंधान, प्रशिक्षक रोहतास ने अभिरक्षा में अपराध संबंधी मामलों एवं मानव तस्करी, प्रशिक्षक भूमेश ने साईबर अपराध, एफएसएल मधुबन के डॉ राजीव कवातरा ने फोरेंसिक किट का इस्तेमाल, डीडीए श्री रामपाल ने आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013, डीडीए श्री अजय कुमार ने अनैतिक व्यापार तथा घरेलू हिंसा, डॉ विकास ग्रोवर ने पीड़ित को चिकित्सा एवं परामर्श, प्रशिक्षक कंवरपाल ने महिला संबंधी आपराधिक मामलों में हुए नये संशोधन तथा प्रशिक्षक जनार्दन ने घरेलू हिंसा पर प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया।



प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर ने ली दीक्षांत पर शपथ

हरियाणा पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रोबेशन सब इंस्पेक्टर गुणपाल ने अपनी बैसिक ट्रेनिंग के बाद 12 जनू 2019 को पासआउट हो गए। उन्होने कर्तव्य परायणता की शपथ भी ली। इस अवसर पर अकादमी के ट्रेनिंग एडवाईजर एवं पूर्व आईजी श्री सतप्रकाश रंगा भापुसे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सब इंस्पेक्टर गुणपाल के परिवारजन, अकादमी के पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी भापुसे, सीडीआई रणधीर सिंह, निरीक्षक विपिन, उप निरीक्षक रामकुमार सहित अन्य अकादमी स्टाफ भी उपस्थित रहा।



हरियाणा पुलिस की पहली महिला ड्रील प्रशिक्षक हुई सेवानिवृत्

हरियाणा पुलिस में ड्रील प्रशिक्षक बनने हेतु बहुत ही मुश्किल प्रशिक्षण से गुजरना होता है। इसलिए इसमें बहुत मेहनती और योग्य पुलिसकर्मी ही सफल होकर ड्रील प्रशिक्षक बनते हैं। वर्ष 1983 से पूर्व सभी ड्रील प्रशिक्षक को सफलतापूर्वक पूरा करके हरियाणा पुलिस की पहली महिला ड्रील प्रशिक्षक बनने की उपलब्धि हासिल की। 17 फरवरी 1982 को हरियाणा पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती श्रीमती राजवंती 37 साल की सफल सेवा के बाद इंस्पैक्टर पद से सेवानिवृत हुई।

गांव लाल छप्पर जिला यमुनानगर के मूल निवासी श्री चरत सिंह व श्रीमती सरस्वती की पहली संतान श्रीमती राजवंती का जन्म 14 मई 1961 को फिल्लौर पंजाब में हुआ। पिता श्री चरत सिंह पंजाब पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र फिल्लौर में ड्रील प्रशिक्षक थे जिन्होंने हरियाणा बनने पर मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीमती राजवंती ने अपना जीवन साथी भारतीय सेना के सैनिक, हिमाचल प्रदेश निवासी श्री नरेन्द्र जसवाल को बनाया, दोनों परिवार सहित करनाल में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निरीक्षक राजवंती अपने सहकर्मियों में अनुशासन और कर्मठता के पर्याय के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। इनके भर्ती होने की कहानी भी प्रेरणादायक है। उस दौर में बहुत से लोग महिलाओं का पुलिस में शामिल होना अच्छा नहीं समझते थे। राजवंती ने जिस समुदाय में जन्म लिया उसमें लड़कियों का नौकरी करना समुदाय के ठेकेदारों के लिए असहनीय था। श्रीमती राजवंती ने अपने पिता श्री चरत सिंह व उनके साथी श्री रतन सिंह, श्री प्रीतम सिंह, श्री कमलजीत राय और वर्दी की शान से प्रेरित होकर खुद भी वर्दी पहनने की ठान ली थी। वे अपने माता-पिता को अपनी कामयाबी का श्रेय देते हुए कहती हैं कि उनके माता-पिता, लड़का-लड़की में कोई भेद नहीं करते थे। उन्होंने भर्ती होने और बाद में ड्रील प्रशिक्षक बनने में भी उसका साथ दिया।

अपने सेवाकाल में पहली महिला ड्रील प्रशिक्षक होने के साथ-साथ वे हरियाणा पुलिस के कम्प्यूटरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अग्रणी सिपाही रही हैं। करनाल जिला में उन्होंने कम्प्यूटर शाखा का प्रभारी रहते हुए कम्प्यूटरीकरण की इस यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जार, रोहतक, पानीपत, अम्बाला, करनाल व हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में सेवा करते हुए अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए समय-समय पर उन्हें सैकड़ों बार पुलिस अधिकारियों व नागरिकों द्वारा सम्मानित किया गया है। श्रीमती राजवंती की साथी रही अकादमी की डीएसपी श्री लक्ष्मी देवी ने अपना अनुभव सांझा करते हुए कहा कि श्रीमती राजवंती की अनुशासनप्रियता के कारण उनके साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अन्य महिला पुलिसकर्मियों में भी इस गुण का समावेश हो गया था। श्रीमती राजवंती न केवल स्वयं अनुशासित रहीं बल्कि अपनी साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करती रहीं।

सहकर्मी उप निरीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि राजवंती में इंसानियत कूट-कूट कर भरी है। उनका आचरण सही मायने में महिलाओं के सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने वाला रहा है। श्रीमती राजवंती का मानना है कि महिलाओं का हित उन्हें संरक्षण प्रदान करने की अपेक्षा उन्हें आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान करने में अधिक है। वे जेंडर भेद में विश्वास नहीं रखती। वे सहायता और मार्गदर्शन करते समय महिला व पुरुष के प्रति समान व्यवहार रखती हैं।

निरीक्षक राजवंती की सफल सेवाकाल के पूरा होने पर अकादमी के निदेशक श्री आलोक कुमार रॉय भापुसे, ट्रेनिंग एडवाईजर व पूर्व आईजी श्री सतप्रकाश रंगा भापुसे, पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी भापुसे, डीएसपी श्री राजकुमार, डीएसपी श्री शीतल सिंह धारीवाल, डीएसपी श्री अजमेर सिंह, डीएसपी श्री सुन्दर सिंह, डीएसपी श्री लक्ष्मी देवी, मुख्य ड्रील प्रशिक्षक रणधीर सिंह व सीएलआई कन्नप्रिया व स्टाफ ने बधाई दी और सुखद जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

Police DAV Public School Madhuban



मेरा मधुबन

मेरे इस मधुबन की अलग ही शान है।
हरियाणा पुलिस की इसी से पहचान है॥
जवानों का मेला मधुबन में जब आता है।
हजार समने, लाख उमंग मन में भर लाता है।
पिंजरे में पंछी का जैसे यहीं आसमान है॥

मेरे इस मधुबन की -----
जहां हर सुबहा सूरज भी रोज नदियों नहाता है।
फालन प्लाटून और गिनती से दिन शुरू हो जाता है।
उस्तादों का रूप यहां गुरु द्रोणाचार्य के समान है॥

मेरे इस मधुबन की-----
कैन्टु वृक्ष की छाया यहां कड़वे नीम सी प्यारी है।
स्पर्श से इसके मिलती, मंजिल ये उजियारी है।
प्रकृति का रूप सुशोभित यहां के लिए वरदान है॥

मेरे इस मधुबन की -----

इंद्रधनुषी बसंत यहां का दुःख-सुख सब बिसराता है।
शाम ढले ही चांद जहां अंचल में छुप सा जाता है।
ईश्वर की सौगात मधुबन सबके लिए समाज है।
मेरे इस मधुबन की -----
वक्त का दरिया बहते-2 सब में बदलाव आता है।
नित नयी एक सीख लिए जवान निखरता जाता है।
हैलो हाय ना चले यहां, जय हिन्द ही प्रणाम है॥

मेरे इस मधुबन की अलग ही शान है।
हरियाणा पुलिस की इसी से पहचान है॥



रैकर्सट महिला सिपाही रीना वर्मा
1598 करनाल प्लाटून नम्बर 5 बैच
संख्या 86 हरियाणा पुलिस अकादमी



Courses



05 Days Course on Cyber Crime Investigation for SHOs Under the Aegis of MHA, New Delhi (26 to 31.05.2019)



Heavy Motor Vehicle Driving Course Batch No. 28 (01.02.2019 to 04.04.2019)



Light Motor Vehicle Driving Course Batch No. 28 (01.02.2019 to 04.04.2019)

Courses



03 Days Course on Cyber Crime Awareness for IOs Under the Aegis of MHA, New Delhi 18 to 20.06.2019



Five Days Course on TOT Gym Trainer Course (10 to 14.06.2019)



05 Days Course on Digital Forensic for NGOs (24 to 28.06.2019)

Congratulations On ORP Promotion For Academy



Congratulations for Promotion



ASI Parveen Kumar



ASI Rita

Arrival & Joining at the Academy



Sh. Anand Mann DA/HPA on 01-06-19



Sh. Pawan Kumar DSP/HPA on 12-06-19



ASI Sweety



ASI Pinki



ASI Usha



ASI Narendar



ASI Nirdosh



ASI Seema



ASI Sonia



ASI Azad

Chief Editor : Alok Kumar Roy, Director HPA ; Editors : Krishan Murari SP/ HPA & SI Om Parkash (CPT)

Page-making: HC Sewa Dass & C-1Ram Kishan; Photo : HC Raju & Mr. Surender (Banti)